अध्याय-I

परिचय

अध्याय-I
परिचय

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 53 विभाग तथा 67 स्वायत्त निकाय हैं। 2017-18 के दौरान ₹ 41,244 करोड़ के समग्र बजट प्राक्कलनों के प्रति ₹ 47,855 करोड़ का व्यय था। 2013-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट आकलनों तथा व्यय की स्थिति **तालिका-1.1** में दर्शाई गई है:

तालिका-1.1: 2013-18 के दौरान राज्य सरकार का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	7,196	7,047	8,344	7,604	9,207	8,788	10,135	9,728	11,230	11,009
सामाजिक सेवाएं	7,117	6,706	7,913	7,451	9,676	7,980	11,388	9,610	11,884	10,337
आर्थिक सेवाएं	4,873	3,590	5,413	4,723	6,407	5,525	7,314	5,996[1]	7,734	5,697
सहायता अनुदान तथा अंशदान	3	9	3	9	5	10	5	10	9	10
योग (1)	**19,189**	**17,352**	**21,673**	**19,787**	**25,295**	**22,303**	**28,842**	**25,344**	**30,857**	**27,053**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	**2,104**	**1,856**	**1,993**	**2,473**	**2,991**	**2,864**	**3,241**	**3,499**	**3,531**	**3,756**
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**342**	**531**	**367**	**474**	**397**	**463**	**428**	**3,290**	**448**	**503**
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**1,714**	**1,704**	**1,511**	**8,260**	**1,503**	**3,948**	**2,229**	**3,943**	**3,105**	**3,500**
आकस्मिक निधि	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
लोक लेखा संवितरण	**2,828**	**9,227**	**2,978**	**8,844**	**2,978**	**10,577**	**3,103**	**12,351**	**3,303**	**13,043**
अंत रोकड़ शेष	--	(-)887	--	(-)739	--	216	--	316	--	183
योग (2)	**6,988**	**12,431**	**6,849**	**19,312**	**7,869**	**18,068**	**9,001**	**23,399**	**10,387**	**20,985**
सकल योग (1+2)	**26,177**	**29,783**	**28,522**	**39,099**	**33,164**	**40,371**	**37,843**	**48,743**	**41,244**	**48,038**

स्रोत: राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्त लेखे।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2013-18 के दौरान राज्य का कुल व्यय[2] ₹ 19,739 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,312 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 17,352 करोड़ से 56 *प्रतिशत* बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,053 करोड़ हो गया। 2013-18 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 14,965 करोड़ से 56 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 23,281 करोड़ हो गया और पूंजीगत व्यय ₹ 1,856 करोड़ से 102 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 3,756 करोड़ हो गया।

वर्ष 2013-18 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 79 से 88 *प्रतिशत* और पूंजीगत व्यय नौ से 12 *प्रतिशत* था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय में 11 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 12 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई।

---

1 इसमें रेणुकाजी बांध के विस्थापित लोगों को दिया गया मुआवजा ₹ 446.96 करोड़ शामिल है।

2 कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

1.3 राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्षत: हस्तांतरित निधियां

2014-15 से राशि को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 901.83 करोड़ प्रत्यक्षत: हस्तांतरित किये थे। फलत: ये राशियां वार्षिक लेखाओं (वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे) के दायरे से बाहर रही।

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2013-18 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का ब्यौरा **तालिका-1.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2: भारत सरकार से सहायता अनुदान विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	2,025	1,199	8,524	8,877	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	3,765	4,333	756	1,188	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	17	31	38	44	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान	507	1,615	1,978	3,055	3,590
वित्त आयोग के अनुदान	--	--	--	--	8,889
अन्य अन्तरण/राज्य को अनुदान/विधायिका के साथ केन्द्र शासित प्रदेश	--	--	--	--	615
योग	**6,314**	**7,178**	**11,296**	**13,164**	**13,094**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	(-) 13.66	13.68	57.37	16.54	(-) 0.53
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	40	40	48	50	48

भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान वर्ष 2013-14 में ₹ 6,314 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 13,094 करोड़ हो गया। 2013-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति इसकी प्रतिशतता 40 से 50 के मध्य रही।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना व संचालन

लेखापरीक्षा प्रकिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ आरंभ होती है जिसमें गतिविधियों की गंभीरता/ जटिलता का निर्धारण, अधिकृत वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हित-धारकों के सरोकार तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित होते हैं। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना निरूपित की जाती है।

लेखापरीक्षा की पूर्णता के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों को एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो समायोजित किया जाता है अथवा अनुपालना हेतु आगामी कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई की जाती है, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

2017-18 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 1,203 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 67 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी संचालित की गई।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर बहुत सी महत्त्वपूर्ण कमियां जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की

कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, प्रतिवेदित की हैं। ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/ स्कीमों की लेखापरीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु कार्यकारणी को उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करने पर था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के अनुसार विभागों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ प्रारूप परिच्छेदों के प्रति छः सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजने अपेक्षित हैं। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप प्रतिवेदन तथा परिच्छेद सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रधान सचिवों/ सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किए जाते हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 26 परिच्छेदों पर प्रारूप प्रतिवेदन सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। मामला दिसम्बर 2018 में राज्य मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया था। चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं 22 प्रारूप परिच्छेदों के मामले में उत्तर प्राप्त हुए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से युक्त, लेखापरीक्षा परिणाम विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि तथा लेखापरीक्षा के सूचनाधीन आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित किए गए थे।

5,607 मामलों में इंगित की गई ₹ 172.54 करोड़ की वसूली के प्रति, सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 5,554 मामलों में ₹ 167.29 करोड़ की वसूली को स्वीकार किया तथापि, वर्ष 2017-18 के दौरान केवल 2,332 मामलों में ₹ 5.99 करोड़ की वसूली की गई जैसा कि नीचे **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकृत/ की गई वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विभाग	ध्यान में आई वसूलियों के विवरण	2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित वसूलियां		2017-18 के दौरान स्वीकृत वसूलियां		2017-18 के दौरान की गई वसूलियां	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
विविध विभाग	अधिक भुगतान, बकाया अग्रिम, इत्यादि	5,607	172.54	5,554	167.29	2,332	5.99

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी

कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर अपनी अनुपालना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 31 मार्च 2018 को बकाया 8,745 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 36,647 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे **तालिका 1.4** में दर्शाई गई है:

तालिका-1.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/ परिच्छेद

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	6,159	27,142	17,060
2.	सामान्य क्षेत्र	1,324	5,850	1,841
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	1,262	3,655	7,243
	योग	**8,745**	**36,647**	**26,144**

सितम्बर 2017 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बंधित 73 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किए गए 138 निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2018 के अंत तक 285

परिच्छेदों से सम्बंधित लगभग ₹ 230.05 करोड़ वित्तीय निहितार्थ वाले परिच्छेद समायोजन हेतु बकाया थे। इनमें से वर्ष 1978-79 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदन से सम्बंधित सबसे पुरानी मद थी। इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-1.1** में और अनियमितताओं के प्रकार का विवरण **परिशिष्ट-1.2** में दिया गया है।

विभागीय अधिकारी निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अभ्युक्तियों पर कार्रवाई करने में विफल रहे, परिणामत: जबावदेही में कमी पाई गई। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर शीघ्र तथा उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मामले पर गौर करे।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के नियम और प्रक्रिया के अनुसार समस्त प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समस्त लेखापरीक्षा परिच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर इसकी परवाह न करते हुए कि लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जांच हेतु अधिग्रहण किया गया है अथवा नहीं, स्व: प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करनी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने के तीन महीनों के भीतर उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित विस्तृत टिप्पणियां भी प्रस्तुत करनी थी जिनमें उनके द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही दर्शायी गई हो।

31 अगस्त 2018 को 31 मार्च 2017 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त न होने की स्थिति नीचे **तालिका -1.5** में दी गई है:

तालिका-1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर एक्शन टेकन नोटस प्राप्त न होने की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	राज्य विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुति की तिथि	कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्ति की देय तिथि	31 अगस्त 2018 को लम्बित कार्रवाई टिप्पणियां
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	2011-12	राजस्व	09/04/2013	08/07/2013	01
	2012-13	जन-जातीय विकास	21/02/2014	20/05/2014	01
	2013-14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10/04/2015	09/07/2015	02
		जन-जातीय विकास			01
		चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान			01
	2014-15	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामले	07/04/2016	06/07/2016	01
		राजस्व			01
	2015-16	लोक निर्माण	31/03/2017	30/06/2017	02
		गृह			02
		सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य			03
		मत्स्य			01
		योजना			01
		राजस्व			01
	2016-17	विविध विभाग (कृषि, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य और उद्योग के अलावा)	05/04/2018	04/07/2018	--
राज्य के वित्त	2016-17	वित्त एवं विविध विभाग	05/04/2018	04/07/2018	सभी अध्याय

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण

विगत तीन वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण उनके मुद्रा मूल्य सहित **तालिका-1.6** में दिया गया है:

तालिका-1.6: 2014-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा परिच्छेदों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		परिच्छेद		उत्तर प्राप्त	
	संख्या	मुद्रा मूल्य	संख्या	मुद्रा मूल्य	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2014-15	4	1,389.83	28	653.39	--	3
2015-16	5	343.99	13	67.62	--	4
2016-17	4	318.11	26	595.88	--	5

2017-18 के दौरान राज्य सरकार को दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 21 लेखापरीक्षा परिच्छेद जारी किए गए थे। सरकार से दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं और 20 प्रारूप परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्राप्त हुए थे।

इस प्रतिवेदन में ₹ 341.17 करोड़ मुद्रा मूल्य से युक्त दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और ₹ 114.52 करोड़ मुद्रा मूल्य से युक्त 21 लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्मिलित किए गये हैं। उत्तर, जहां भी प्राप्त हुए, उपयुक्त स्थानों पर समाविष्ट किए गए हैं।